

फर्द अहकाम्

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना

पार्थी :- गिरीराज सोनी पुत्रदेवीलाल सोनी जाति सोनी निवासी गबरु तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:- मोहनी देवी पुत्री मानाराम जाति जाट निवासी लादडिया तहसील-डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

केसम् मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या..86 ...सन्-.....2020..

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
1.08.2020	<p>प्रार्थी गिरीराज सोनी पुत्रदेवीलाल सोनी जाति सोनी निवासी गबरु तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मोहनी देवी पुत्री मानाराम जाति जाट निवासी लादडिया तहसील-डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान ने पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रिकार्ड का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद लादडिया के खसरा सं० 485 की भूमी के राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 06.10.2020 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>6/10/20 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य। दोरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 25/11/20 को पेश हो।</p> <p>25/11/20 पत्रावली पेश हुई। वर संघ ने अदालती कार्य पेश हैं, मिसल दिनांक 19/11/21 को पेश हो।</p>	



पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उफन
अप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश
करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक
12/7/22 को पेश है।

सहायक कलेक्टर
होडवाना (नागौर)

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उफन
अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पत्रावली
दिनांक 27/9/22 को पेश है।

सहायक कलेक्टर
होडवाना (नागौर)

27/9/22

पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अपस्तती
कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 21/11/22
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
होडवाना (नागौर)

21/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उफन
अप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश
करे। पेश नही करने की स्थिति में
09 R 5 CPC के तहत कार्यवाही अग्रस
क लाई जाएगी। पत्रावली वास्ते तलबी
दिनांक 11/11/23 को पेश है।

सहायक कलेक्टर
होडवाना (नागौर)

11/11/23

पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश
की पालना नहीं की है अतः न्यायालय
के आदेश की अचूकता से पत्रावली
09 R 5 CPC के तहत खारिज की
जाती है पत्रावली लै मसु श्रमा होत
जायिज दफ्त है।

सहायक कलेक्टर
होडवाना (नागौर)